न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 55/2019/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 11.7.2019
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1 भूलीबाई पत्नी स्व0 गोपाल लाल कोडप निवासी मकान नं0 2 ध 26 विज्ञान नगर कोटा।
2. प्रेमलता मीणा पुत्री स्व0 गोपालाल कोडप पत्नी मांगीलाल जाति मीणा निवासी रामद्वारा चौक मनोहरथाना रोड़ अकलेरा, जिला झालावाड़।
3. सुनीता कोडप पुत्री स्व0 गोपाललाल कोडप पत्नी किशन मुरारी मीणा निवासी 137 विवेकानन्द नगर न्यू मेडिकल कोलेज के पीछे कोटा हालमुकाम रामपुरा सेटेलाइट अस्पताल कोटा।

...अपीलार्थी

बनाम

1 शिवराज कोडप आत्मज स्व0 गोपाल लाल कोडप जाति मीणा निवासी मकान नं0 2 ध 26 विज्ञान नगर कोटा।
2 कविता रावत पुत्री स्व0 गोपाललाल कोडप पत्नी ओमप्रकाश रावत जाति मीणा निवासी अन्नापूर्ण मंशादेवी मन्दिर, बस स्टेण्ड के पास मनासा जिला नीमच, मध्यप्रदेश।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाड़पुरा जिला कोटा।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री तेजमल जैन अभिभाषक अपीलार्थी
श्री चन्द्रमोहन शर्मा अभिभाषक रेस्पो0 कम–1
श्री शालिनी शर्मा अभिभाषक रेस्पो0 कम–2

:::निर्णय:::

दिनांक 28.01.2020

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 30/2018(अपील) उनवान शिवराज कोडप बनाम प्रेमलता मीणा वगै0 मे पारित निर्णय दिनांक 26.06.2019 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) एवं से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि शिवराज कोडप आ0 गोपाल लाल द्वारा तहसीलदार लाडपुरा द्वारा ग्राम रामराजपुरा के इंतकाल आदेश सं0 965 दिनांक 1.6.2017 से अप्रसन्न होकर अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर कोटा के यहां राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस आशय की पेश की गई कि ग्राम रामराजपुरा की वादग्रस्त आराजी गोपाल लाल कोडप के नाम रेवेन्यू रिकार्ड मे दर्ज थी जिसका खाता सं0 43 व 44 था। खातेदार गोपाल लाल कोडप की मृत्यु के बाद फौती इंतकाल सं0 965 दिनांक 1.6.2017 खोला गया जो अपीलांट व रेस्पो0 नं0 1 लगायत 4 के नाम तस्दीक किया गया। गोपाल लाल कोडप की मृत्यु दिनांक 11.10.2016 को हुई थी। उनके अपीलांट एक मात्र पुत्र है तथा रेस्पो0 1 लगायत 3 पुत्रियां व रेस्पो0 कम 4 पत्नी है। उक्त इंतकाल केवल अपीलांट के नाम ही तस्दीक किया जाना चाहिये था रेस्पो0 1 लगायत 4 के नाम खोला गया इंतकाल अवैधानिक है, क्योंकि अनुसूचित जन जाति मे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है। महिलाओं को मृतक खातेदार की भूमि मे कोई हक व अधिकार नही बनता है। ऐसी स्थिति मे उक्त इंतकाल गैरकानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर नामा0

सं0 965 दिनांक 1.6.2017 खारिज कर प्रकरण तहसीलार लाडपुरा को पुनः जांच कर गोपाल लाल कोडप के फौती इन्तकाल के संबध मे नवीन आदेश पारित करने हेतु दिनांक 26.6.2019 को रिमांड किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधि न्याय एवं संचिका मे सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने नामा0 खारिज कर प्रकरण पुनः तहसीलदार को रिमांड करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय मे बिना किसी समुचित आधार के प्रस्तुत अपील को अवधि मध्य मानने मे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि पुराने हिन्दू लॉ मे भी विधवा स्त्री को अपने पति की सम्पत्ति मे से भरण पोषण का अधिकार एवं मकान मे रहने का अधिकार अपने जीवनकाल तक प्राप्त होता था इस कारण जहां तक विधवा पत्नी का प्रश्न है उसका नाम नामान्तरकरण मे सही रूप से आलेखित किया गया है। तहसीलदार को निर्देश है कि साधारणतया नामान्तरकरण प्राकृतिक उत्तराधिकारियों के अनुसार खोले अन्य कोई विधिक आपत्ति हो तो उसका निराकरण सक्षम न्यायालय मे वाद के माध्यम से कराया जावे। वैसे भी पक्षकार जिसे श्रेणी से संबधित है उसमे यह प्रथा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके बेटे बेटिया व विधवा को समान अधिकार प्राप्त होते है। अतः अपील स्वीकार की जाकर निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय निरस्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक, अपीलांट एवं रेस्पो0 सुनी गई। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने प्रकरण मे दिनांक 9.1.2020 को लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने नामा0 सं0 965 दिनांक 1.6.2017 खारिज कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को रिमांड करने मे त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि पुराने हिन्दू लॉ मे भी विधवा स्त्री को अपने पति की सम्पत्ति मे से भरण पोषण का अधिकार एवं मकान मे रहने का अधिकार अपने जीवनकाल तक प्राप्त होता था इस कारण जहां तक विधवा पत्नी का प्रश्न है उसका नाम नामान्तरकरण मे सही रूप से आलेखित किया गया था। बहस मे आगे बताया कि तहसीलदार को निर्देश है कि साधारणतया नामान्तरकरण प्राकृतिक उत्तराधिकारियों के अनुसार खोले अन्य कोई विधिक आपत्ति हो तो उसका निराकरण सक्षम न्यायालय मे वाद के माध्यम से कराया जावे। वैसे भी पक्षकार जिस श्रेणी से संबधित है उसमे यह प्रथा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके बेटे बेटिया व विधवा को समान अधिकार प्राप्त होते है। पक्षकारान के मध्य वाद विभाजन सम्पत्ति अन्तर्गत आर्डर 2 रूल 1 सीपीसी का दिवानी वाद माननीय जिला न्यायाधीश कोटा मे चल रहा है जिसमे पक्षकारान के स्तत्व का निर्धारण होगा। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष समर्थन मे 2019 डीएनजे (सुप्रीम) पेज 131 हिन्दू वुमेन राईट टू प्रोपर्टी एक्ट 1937 पेज 759 आरएलआर 2006 (2) पेज 76 आरआरडी 2002 पेज 31,का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय अपास्त करने करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम–1 द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत लिखित बहस का संक्षिप्त सार है कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है खातेदार मीणा जाति के है जो अनुसूचित जन जाति के अन्तर्गत आते है। स्व0 गोपाल कोडप के एक कपुत्र तीन पुत्रियां व एक विधवा है। वादग्रस्त आराजी अनुसूचित जन जाति के खातेदार की होने से उस पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नही होता है तथा ओल्ड हिन्दू लॉ के नियम लागू होते है। ऑल्ड हिन्दू लॉ के तहत मृतक खातेदार के उसके पुत्र के ही सम्पत्ति मे अधिकार होते है महिलाओं के नही। आल्ड हिन्दू लॉ के तहत धारा 43 के प्रावधानों से यह प्रकट है कि किसी हिन्दू पुरूष की मृत्यु पर उसके सपिण्डा इस दावे मे दिये गये क्रम मे सम्पत्ति विरासत मे प्राप्त करेगें। सर्वप्रथम आते है क्रम 1 से 3 मे दिये गये सपिण्डा जिसमे पुत्र पोत्र परपोत्र एवं विधवा आती है। स्व0 गोपाल का एक मात्र पुत्र रेस्पो0 नं0 1 है इस कारण विधवा एवं पुत्रियों का इसमे कोई अधिकार नही है। केवल उनके एक मात्र पुत्र उनकी सम्पत्ति का वारिस होने के कारण एक मात्र उत्तराधिकारी होगा। जंहा तक विधवा के भरण पोषण का प्रश्न है विधवा के पति अर्थात रेस्पो0 केपिता गोपाल कोडप केन्द्र शासित विभाग सेन्ट्रल एक्साइज एवं कस्टम विभाग मे डिप्टी कमिश्नर के पद पर थे जिनकी पारिवारिक मासिक पेशंन 30,000 रू0 प्रति माह प्राप्त होती है जो अपीलांट के यूकोबैंक शाखा विज्ञाननगर कोटा मे अकाउन्ट मे जमा होती है। जमीन से प्रतिवर्ष तीन लाख रू0 फसल से प्राप्त होता जो भी इसी बैंक खाते मे जमा होता है। राजीव गााधी नगर कोटा मे प्लाट सं0 89 मे 24 कमरों का एक हास्टल बना हुआ है जिसका किराया 15 लाख रूपये

सालाना अपीलांट प्राप्त कर रही है और वही पर ही निवास कर रही है। स्व0 गोपाल द्वारा उनके नाम खरीदी गयी जमीन वाके ग्राम सीन्ता 17 बीघा है इसको भी जरिये दानपत्र उन्होने अपनी तीनों पुत्रियों को दे दी है। जिससे प्रतीत होता है कि अपीलांट अपना भरण पोषण करने मे सक्षम है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय न्यायोचित होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे तथा रेस्पो0 कम–1 के पक्ष मे विवादित भूमि का इन्तकाल खोले जाने का निर्देश तहसीलदार लाडपुरा को दिया जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा प्रकरण मे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 26.6.2019 का अवलोकन किया। ग्राम रामराजपुरा तहसील लाडपुरा मे मृतक खातेदार गोपाल लाल कोडक के फौती इन्तकाल सं0 965 दिनांक 1.6.2017 अपीलांट व रेस्पो0 नं0 1 लगायत 4 के नाम तस्दीक किया गया था जिसको शिवराज कोडप द्वारा अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय मे इस आधार पर चुनोती दी गई कि अनुसूचित जन जाति मे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है। महिलाओं को मृतक खातेदार की भूमि मे कोई हक व अधिकार नही बनता है। ऐसी स्थिति मे उक्त इंतकाल गैरकानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्तो से सहमत होते हुये मृतक खातेदार गोपाल लाल कोडप मीणा जाति के होने से खातेदार मृतक की लडकियों को कोई अधिकार प्राप्त नही होना मानते हुये नामान्तरकरण सं0 965 दिनांक 1.6.2017 खारिज कर प्रकरण पुनः जांच कर गोपाल लाल कोडप के फौती इन्तकाल के संबध मे नवीन आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार लाडपुरा को आलौच्य निर्णय दिनांक 26.6.2019 से रिमांड किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि पुराने हिन्दू लॉ मे भी विधवा स्त्री को अपने पति की सम्पत्ति मे से भरण पोषण का अधिकार एवं मकान मे रहने का अधिकार अपने जीवनकाल तक प्राप्त होता था इस कारण जहां तक विधवा पत्नी का प्रश्न है उसका नाम नामान्तरकरण मे सही रूप से आलेखित किया गया था। तहसीलदार को निर्देश है कि साधारणतया नामान्तरकरण प्राकृतिक उत्तराधिकारियों के अनुसार खोले अन्य कोई विधिक आपत्ति हो तो उसका निराकरण सक्षम न्यायालय मे वाद के माध्यम से कराया जावे। वैसे भी पक्षकार जिस श्रेणी से संबधित है उसमे यह प्रथा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके बेटे बेटिया व विधवा को समान अधिकार प्राप्त होते है। पक्षकारान के मध्य वाद विभाजन सम्पत्ति अन्तर्गत आर्डर 2 रूल 1 सीपीसी का दिवानी वाद माननीय जिला न्यायाधीश कोटा मे चल रहा है जिसमे पक्षकारान के स्तत्व का निर्धारण होगा। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष समर्थन मे 2019 डीएनजे (सुप्रीम) पेज 131 हिन्दू वुमेन राईट टू प्रोपर्टी एक्ट 1937 पेज 759 आरएलआर 2006 (2) पेज 76 आरआरडी 2002 पेज 31,का न्यायिक उद्धरण पेश किया गया तथा प्रकरण मे प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी के साथ नकल आर्डर शीट दिनांक 21.11.2019 दावा सं0 102/19 न्यायालय डीजे कोर्ट कोटा, कनल दावा सं0 102/19 भूलीबाई बनाम शिवराज, नकल जवाबदावा दिनांक 21.11.2019 पेश की गई। उक्त दस्तावेजात प्रमाणित प्रति होने तथा प्रकरण के निर्णय मे सहायक होने से न्यायहित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये गये। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख, दस्तावेजात एवं प्रकरण मे उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुसूचित जन जाति मे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है। महिलाओं को मृतक खातेदार की भूमि मे कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है। ऐसी स्थिति मे उक्त विधिक प्रावधानों से सहमत होते हुये प्रथम अपीलीय न्यायालय ने नामा0 सं0 965 को आलौच्य निर्णय दिनांक 26.6.2019 से निरस्त कर प्रकरण पुनः जांच कर गोपाल लाल कोडप के फौती इंतकाल के संबध मे नवीन आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार लाडपुरा को रिमांड किया है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि पक्षकारान के मध्य वाद विभाजन सम्पत्ति अन्तर्गत आर्डर 2 रूल 1 सीपीसी का दिवानी वाद माननीय जिला न्यायाधीश कोटा मे विचाराधीन है जिसमे पक्षकारान के स्वत्व का निर्धारण होगा ऐसी स्थिति मे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 26.6.2019 न्यायोचित होना प्रकट होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश प्रतीत नही होती है। लिहाजा उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 28.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा